of the erstwhile Standing Committee on Labour and Welfare on Development of Primitive Tribal Groups;

(ii) Fifth Report on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the First Report of the Committee on Demands for Grants (2004-2005) of the Ministry of Social Justice and Empowerment; and

(iii) Sixth Report on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Second Report of the Committee on Demands for Grants (2004-2005) of the Ministry of Tribal Affairs.

REPORT OF THE DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Fifth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Urban Development (2004-2005) on Action Taken by the Government on the recommendations contained in its Second Report on Demands for Grants (2004-2005) of the Ministry of Urban Development.

MATTERS RAISED WITH THE PERMISSION

Harassment of three female cadets at the Indian Air Force Academy in Dundigal, Hyderabad

श्रीमती सुषमा स्वराज (**उत्तरांचल**) : सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं एक महत्वपूर्ण मसला आज इस सदन में उठाना चाहती हूं। महोदय, पिछले सप्ताह "आज तक" चैंनल ने एक खबर दिखाकर पूरे देश का ध्यान यौन शोषण की घटना की तरफ आकृष्ट किया था। उस खबर में यह दिखाया गया था कि इंडियन एयरफोर्स अकादमी, डिंडीगल, हैदराबाद में तीन महिलाएं जो पायलट बनने का प्रशिक्षण ले रही थीं, उन्हें यह कहकर कि तुम फिजिकली अनफिट हो, पासिंग आउट परेड से कुल बीस दिन पहले अकादमी से बाहर कर दिया गया। महोदय, वे तीनों लड़कियों-कुमारी अंशु सिंह, कुमारी सरबजीत जस और कुमारी प्रीति बहुल-अलग-अलग शहरों से इंटरव्यू देकर एक ही बात कह रही थी कि उनका एक सीनियर इंस्पेक्टर, जो उन्हें प्रशिक्षण देता था,

वह उनसे इस तरह की फेवर्स मांगता था, जो वे देने में असमर्थ थीं। और उनके मना करने पर सजा के तौर पर उन्हें अकादमी से बाहर कर दिया गया। सभापति जी, यौन शोषण की यह पहली घटना सामने नहीं आई है। आए दिन इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती हैं,जहां पहले नौकरी देने के लिए और फिर, उस नौकरी को बकरार रखने के लिए महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जाता है।

सभापति जी, हम आए दिन महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि क्या यही है महिला सशक्तिकरण कि पुरुषों के बराबर शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद, पुरुषों के बराबर कार्यक्षमता होनेके बावजूद, महिला जब तक कुछ अन्य देने को राजी न हो जाए, तब तक न उसे नौकरी मिलती है और न वह नौकरी बनी रह सकती है? सभापति जी, इस तरह का मसला अगर फौज से संबंधित किसी विभाग में आता है, तो विषय की गंभीरता और ज्यादा बढ जाती है, क्योंकि हमारी सेनाओं पर हमें गर्व है। इंडियन एयरफोर्स के जवानों के पराक्रम को हम सैल्यूट करते हैं, पर शायद आपको मालूम होगा कि दस वर्ष पहले तक ये क्षेत्र महिलाओं के लिए वर्जित माने जाते थे। आज अपने साहस और हिम्मत के बल पर वे जब इस तरह के वर्जित क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं, तो चाहिए तो यह कि हम हर संभव तरीका अपनाकर, महिलाओं को यहां लाने के लिए हम प्रेरित करें, लेकिन उल्टा हो रहा है कि अगर ऎसी जगह पर उनको कोई हवस का शिकार बनाना चाहता है और वह मना करती है, तो उनको निकाल दिया जाता है। मैं केवल एक बात इसके साथ यह कहना चाहूंगी कि ऎसे विषय न्यायालयों के सामने भी आए है और सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मानदंड, कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं, जिनकी पालन होनी चाहिए, लेकिन उनकी पालना में भी कमी आ रही है और मानसिक रुप से हमारी विकृति भी बढ रही है। इसलिए इस विषय को उठाकर मै सरकार से इतना चाहूंगी कि वह इन आरोपों की, जो इन लड़कियों ने लगाए हैं, निष्पक्ष तौर पर जांच करे और यदि वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, जिसके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो ऎसे कड़े दंड का प्रावधान करें, जो दंड औरों के लिए भी सबक बने और ऎसे विषयों की पुनरावृत्ति न हो, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात) : सभापति जी, मैं स्वयं को इस विषय से ऎसोसिएट करती हूं।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): Sir, all of us support Shrimati Sushma Swaraj.

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : महोदय, मैं भी अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करती हूं।

SHRIMATI BIMBA RAIKAR (Karnataka): Sir, I associate myself with the issue raised by Shrimati Sushma Swaraj.

श्री सभापति : समर्थन कर दीजिए। आप सब सपोर्ट कर दीजिए। सबका रिकॉर्ड कर लिया जाएगा।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा (पंजाब) : सर, मैं भी अपने आपको इससे ऐसोसिएट करता हूं।

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the issue raised by Shrimati Sushma Swaraj.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : आदरणीय सभापति महोदय, सम्मानित सदस्या ने जो मुद्दा उठाया है, आदरणीय रक्षा मंत्री जी को मैं उससे अवगत करा दूंग।

Re. Failure of Telephone Services in North-Eastern States

SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE (Assam): Sir, I would like to draw your attention to the North-Eastern States of India, where, for the last seven days, there is no telephone service. Even the Police, fire services, etc., have been affected. I would like to know the action taken by the Government in this regard. Sir, this is a very serious matter.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) : सर, यह सीरियल मसला है, सारे टेलीफोन वहां ठप्प हैं। पूरे नॉर्थ-ईस्ट में सारे टेलीफोन ठप्प हैं। बी. एस.एन.एल. का काम नहीं हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... सेल फोन काम नहीं कर रहे हैं, लैंड लाइन काम नहीं कर रहा है ...(**व्यवधान**)... पूरी व्यवस्था ठप्प है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप एक मिनट बैठिए ... मैं कह दूं। ...(**व्यवधान**)... मैं आपके behalf पर ही बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir, this is very important *...(Interruptions)...*

श्री सभापति : आप बैठ जाइए। एक मिनट बैठ जाइए। पचौरी जी, इस सारे मामले को आपने सुना, आज ही इस संबंध में सदन को जानकारी दी जाए।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : ठीक है सर।